**पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में,**

**2020 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.5239**

==========

अजय कुमार यादव, पुत्र दीनानाथ यादव, निवासी रघुनाथपुर , वार्ड सं० 7, बारसोई स्टेशन रोड, डाकघर-बारसोई, थाना-बारसोई, जिला-कटिहार।

..... ..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड अपने अध्यक्ष के माध्यम से, इंडियन ऑयल भवन, जी9, अली यावर जंग मार्ग, बांद्रा पूर्व, मुंबई-400051।
2. अध्यक्ष, इंडियन ऑयल भवन, जी9, अली यावर जंग मार्ग, बांद्रा पूर्व, मुंबई-400051।
3. प्रभागीय कार्यालय के प्रमुख, प्रभागीय कार्यालय, बेगुसराय, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड।
4. प्रभागीय प्रबंधक, प्रभागीय कार्यालय, बेगुसराय, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड।
5. क्षेत्र प्रबंधक, संभागीय कार्यालय, बेगुसराय, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
6. क्षेत्रीय प्रबंधक, संभागीय कार्यालय, बेगुसराय, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
7. सी. डी. आर. एस. एम., संभागीय कार्यालय, बेगुसराय, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड।
8. राज कुमार गुप्ता, कपिल देव प्रसाद गुप्ता के पुत्र, बारसोई बाजार निवासी, थाना-बारसोई, जिला-कटिहार।

..... ..... उत्तरदाता/गण

==========

प्रशासनिक कानून अनुच्छेद 226 प्रत्यर्थी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के उस निर्णय को चुनौती देता है जिसमें खुदरा आउटलेट डीलरशिप (पेट्रोल पंप) के अनुदान के लिए याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि वह आवेदन पत्र जमा प्रस्तुत की तारीख से पहले की तारीख वाले परिशिष्ट **III** बी (एक अधिवक्ता से पुष्टिकरण पत्र) को प्रस्तुत करने में विफल रहाः आयोजित किया क्रेडेंशियल्स के फील्ड वेरिफिकेशन के दौरान, याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता का पुष्टिकरण पत्र प्रस्तुत किया जो आवेदन पत्र जमा प्रस्तुत की तारीख के बाद है और चयन की शर्तों के अनुसार आवेदन पत्र जमा प्रस्तुत से पहले की तारीख नहीं है और/या चयन की शर्तों के अनुसार आवेदन पत्र जमा प्रस्तुत से पहले की तारीख नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता आवेदन पत्र जमा प्रस्तुत से पहले की तारीख वाला कोई दस्तावेज/पुष्टिकरण पत्र पेश प्रस्तुती में विफल रहा और/या आवेदन पत्र जमा प्रस्तुत की तारीख को, प्रतिवादी निगम ने डीलरशिप रिट आवेदन को खारिज प्रस्तुत के लिए याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को सही ढंग से खारिज कर दिया।(पैरा 1,10,24,27)

**2021 (4) पीएलजेआर 608**

**.....संदर्भित किया गया।**

**पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में,**

**2020 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.5239**

==========

अजय कुमार यादव, पुत्र दीनानाथ यादव, निवासी रघुनाथपुर , वार्ड सं० 7, बारसोई स्टेशन रोड, डाकघर-बारसोई, थाना-बारसोई, जिला-कटिहार।

..... ..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड अपने अध्यक्ष के माध्यम से, इंडियन ऑयल भवन, जी9, अली यावर जंग मार्ग, बांद्रा पूर्व, मुंबई-400051।
2. अध्यक्ष, इंडियन ऑयल भवन, जी9, अली यावर जंग मार्ग, बांद्रा पूर्व, मुंबई-400051।
3. प्रभागीय कार्यालय के प्रमुख, प्रभागीय कार्यालय, बेगुसराय, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड।
4. प्रभागीय प्रबंधक, प्रभागीय कार्यालय, बेगुसराय, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड।
5. क्षेत्र प्रबंधक, संभागीय कार्यालय, बेगुसराय, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
6. क्षेत्रीय प्रबंधक, संभागीय कार्यालय, बेगुसराय, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
7. सी. डी. आर. एस. एम., संभागीय कार्यालय, बेगुसराय, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड।
8. राज कुमार गुप्ता, कपिल देव प्रसाद गुप्ता के पुत्र, बारसोई बाजार निवासी, थाना-बारसोई, जिला-कटिहार।

..... ..... उत्तरदाता/गण

==========

**उपस्थितिः**

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री संजीत कुमार

आई.ओ.सी.एल. के लिए : श्री के. डी. चटर्जी, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री अमरेश कुमार वर्मा

==========

**कोरमःमाननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार सिन्हा**

**निर्णय और आदेश**

**मौखिक**

**तारीखः01-03-2024**

याचिकाकर्ता, मुख्य मंडल खुदरा बिक्री प्रबंधक (सी. डी. आर. एस. एम.), मंडल कार्यालय, बेगुसराय, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के हस्ताक्षर के तहत जारी किए गए पत्र से व्यथित है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की खुदरा आउटलेट डीलरशिप (पेट्रोल पंप) की उम्मीदवारी एस. एच. 98 पर शिवरामपुर चौक और पीर मजार के बीच स्थित समूह-1 को रद्द कर दिया गया है, रिट आवेदन दायर किये हैं ।

**2.** वर्तमान रिट आवेदन को उत्पन्न करने वाले संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रकाशित एक विज्ञापन के अलोक में, याचिकाकर्ता ने समूह-1 श्रेणी के तहत कटिहार जिले में एसएच 98 पर शिवरामपुर चौक और पीर मजार के बीच के स्थान पर खुदरा आउटलेट डीलरशिप (पेट्रोल पंप) के लिए आवेदन किया था।

**3.** चयन की शर्तों के अनुसार, जैसा कि विवरणिका में उल्लेख किया गया है, समूह-1 श्रेणी को उन आवेदकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिनके पास विज्ञापित स्थान/क्षेत्र में भूमि का उपयुक्त टुकड़ा है या तो स्वामित्व/दीर्घकालिक पट्टे के रूप में न्यूनतम 19 वर्ष 11 महीने की अवधि के लिए या ओएमसी द्वारा विज्ञापित के रूप में।

विवरणिका में उल्लिखित भूमि के संबंध में दूसरी शर्त यह है कि परिवार के सदस्य (ओं) के स्वामित्व वाली भूमि को भी आवेदन (समूह-1) से संबंधित माना जाएगा, बशर्ते कि संबंधित परिवार के सदस्य (ओं) से शपथ पत्र (परिशिष्ट **III** ए) के रूप में सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए। भूमि (समूह 1 या समूह 2) के संबंध में आवेदक की पात्रता कंपनी द्वारा एक अधिवक्ता (परिशिष्ट **III** बी) से एक पुष्टिकरण पत्र के संदर्भ में तय की जाएगी जिसे आवेदक द्वारा व्यवस्थित किया जाएगा।

**4.** आवेदन पत्र में उल्लिखित चयन की शर्त यह है कि यदि भूमि परिवार के सदस्य/अन्य लोगों की है, तो परिशिष्ट **III** ए के अनुसार नोटरीकृत हलफनामा उपलब्ध होना चाहिए जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पूछे जाने पर जमा किया जाना है। प्रत्येक आवेदक के पास आवेदन पत्र जमा करने से पहले एक अधिवक्ता (परिशिष्ट **III** बी) का एक पुष्टिकरण पत्र होना चाहिए जिसमें वर्तमान स्वामित्व, दस्तावेजों पर भरोसा किया जाना चाहिए और जिस श्रेणी के तहत भूमि आती है (समूह 1 या समूह 2) का विवरण होना चाहिए। उपरोक्त शर्त का उल्लेख आवेदन पत्र के खंड 13 में किया गया है।

**5.** विवरणिका के खंड 4 (**v**) (के) में कहा गया है कि प्रत्येक आवेदक को आवेदन पत्र में उस श्रेणी की घोषणा करनी होगी जिसके तहत प्रस्तावित भूमि आती है। उपरोक्त का समर्थन करते हुए, एक अधिवक्ता (परिशिष्ट **III** बी) से पुष्टिकरण पत्र जिसमें वर्तमान स्वामित्व, दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है और जिस श्रेणी के तहत भूमि आती है (समूह 1 या समूह 2) का विवरण दिया गया है, आवेदन की तारीख के अनुसार, जब भी सलाह दी जाए, प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जिस समूह के तहत आवेदक की भूमि आती है, उसका निर्धारण आवेदन में दी गई घोषणा और उसी के संबंध में अधिवक्ता से पुष्टिकरण पत्र के आधार पर किया जाएगा।

**6.** खंड 4 (**v**) (के) में संलग्न नोट में कहा गया है कि यदि बाद के चरण में यह पाया जाता है कि प्रस्तावित भूमि उपरोक्त शर्तों में से किसी को भी पूरा नहीं कर रही है। तो ऐसे मामले में, प्रस्तावित भूमि को अस्वीकार कर दिया जाएगा और उम्मीदवार को एस. एम. एस./ई-मेल के माध्यम से सूचित करके समूह 3 के तहत आवेदकों के साथ अवसर दिया जाएगा।

**7.** विवरणिका के खंड 4 (वी) (एम) में कहा गया है कि चयनित उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत सहायक दस्तावेजों का सत्यापन, चयन के बाद, प्रमाण पत्रों की जांच/क्षेत्र सत्यापन के समय किया जाएगा।

**8.** मान लीजिए, याचिकाकर्ता ने अपनी मां की भूमि का दावा करते हुए समूह 1 श्रेणी के तहत आवेदन किया है। यह भी माना जाता है कि याचिकाकर्ता ने 24.12.2018 पर आवेदन पत्र जमा कर दिया है।

**9.** इस मामले के निर्णय के लिए चयन प्रक्रिया की दूसरी शर्त क्रेडेंशियल्स का फील्ड वेरिफिकेशन है, जिसका उल्लेख विवरणिका के खंड 15 में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि आवेदन पत्र में दिए गए विवरणों के संबंध में चयनित उम्मीदवार के लिए फील्ड वेरिफिकेशन किया जाएगा। क्रेडेंशियल्स के फील्ड वेरिफिकेशन का उद्देश्य आवेदन में उम्मीदवारों द्वारा दिए गए विवरण और उसके बाद जमा किए गए दस्तावेजों की शुद्धता को सत्यापित करना है। उम्मीदवार को क्रेडेंशियल्स के फील्ड वेरिफिकेशन के समय सभी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे जो चयन के बाद जमा किए गए थे। परिचय-पत्रों के क्षेत्र सत्यापन के संबंध में सूचना चयनित उम्मीदवार को दस दिन पहले एस. एम. एस./ई-मेल द्वारा दिया जाएगा।

**10.** याचिकाकर्ता का चयन घोषणा और आवेदन पत्र में उसके द्वारा दिए गए विवरण के आधार पर लॉट के ड्रॉ में किया गया था। दिनांक 28.06.2019 के पत्र द्वारा,

याचिकाकर्ता को सूचित किया गया था कि उसे डीलरशिप के अनुदान के लिए लॉट के ड्रॉ में सफल घोषित किया गया है और तदनुसार याचिकाकर्ता को दस दिनों के भीतर प्रमाण पत्रों के क्षेत्र सत्यापन के लिए दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता थी।

**11.** इस पत्र के जवाब में, याचिकाकर्ता ने परिशिष्ट **III** बी, दिनांकित 01.07.2019 प्रस्तुत किया है। याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को इस आधार पर रद्द कर दिया गया है कि याचिकाकर्ता आवेदन पत्र जमा करने की तारीख से पहले या आवेदन पत्र जमा करने से पहले की तारीख वाले परिशिष्ट **III** बी (एक अधिवक्ता से पुष्टिकरण पत्र) को पेश करने के बजाय चयन की शर्तों का पालन करने में विफल रहा है।

**12.** याचिकाकर्ता के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता ने अपने आवेदन पत्र के साथ, परिशिष्ट **III** बी में एक अधिवक्ता से पुष्टिकरण पत्र प्रस्तुत किया और आगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा मांग पर, पुष्टिकरण पत्र प्रस्तुत किया, दिनांक 01.07.2019 वह आगे प्रस्तुत करता है कि चूंकि याचिकाकर्ता का चयन किया गया है और उसने प्रस्तुत किया है। चयन की शर्तों के अनुसार, दिनांक 01.07.2019 का पुष्टिकरण पत्र, इस प्रकार, याचिकाकर्ता चयन की सभी शर्तों को पूरा करता है। लेकिन प्रतिवादी-इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मनमाने ढंग से और तकनीकी आधार पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी है।

**13.** इसके विपरीत, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री के. डी. चटर्जी का तर्क है कि विवादित आदेश में कोई अवैधता नहीं है क्योंकि चयन के नियमों और शर्तों के अनुसार, जैसा कि विवरणिका, आवेदन पत्र और विज्ञापन में उल्लेख किया गया है, चयनित उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत सहायक दस्तावेजों का सत्यापन, चयन के बाद, प्रमाण पत्रों की जांच/क्षेत्र सत्यापन के समय किया जाएगा। आवेदन पत्र जमा करते समय, भूमि के स्वामित्व के प्रमाण की प्रति जमा करने की आवश्यकता नहीं

थी और इसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा सलाह दिए जाने पर जमा किया जाना था।

**14.** याचिकाकर्ता, अपने आवेदन पत्र में, समूह 1 की अपनी श्रेणी का दावा कर रहा है, जिसके लिए उसे एक वकील से परिशिष्ट **III** बी में पुष्टिकरण पत्र जमा करना आवश्यक था, जिसमें वर्तमान स्वामित्व, दस्तावेजों पर भरोसा किया गया था और जिस श्रेणी के तहत भूमि आवेदन जमा करने से पहले एक तारीख को आती है, उसका विवरण दिया गया था। मान लीजिए, आवेदन पत्र याचिकाकर्ता द्वारा 24.12.2018 को जमा किया गया है। लॉट के ड्रॉ में, याचिकाकर्ता के चयन के बाद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने याचिकाकर्ता से परिशिष्ट **III** बी सहित दस्तावेजों की मांग की, पत्र के माध्यम से, दिनांक 28.06.2019 (अनुलग्नक पी/6) प्रमाण पत्रों की जांच/क्षेत्र सत्यापन के लिए और उसी के जवाब में, याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता का पुष्टिकरण पत्र, दिनांक 01.07.2019 प्रस्तुत किया है, जो आवेदन जमा करने की तारीख से पहले नहीं है और इस तरह, चयन की शर्त के अनुरूप नहीं है।

**15.** तदनुसार, साख की जांच/क्षेत्र सत्यापन के आधार पर, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को समूह 1 श्रेणी के तहत वैध नहीं माना है।

**16.** विद्वान वरिष्ठ वकील **सुनीता यादव बनाम एम/एस इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य ने 2021 (4) पी. एल. जे. आर. 608** में प्रतिवेदित के मामले में इस न्यायालय के एक खंड पीठ के फैसले पर निर्भर करता है।

17. मैंने संबंधित पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुना है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है।

**18.** आवेदन पत्र याचिकाकर्ता द्वारा अनुलग्नक पी/2 के रूप में संलग्न किया गया है। उसी का खंड 13 भूमि विवरण और समूह 1 श्रेणी से संबंधित है, जिसमें याचिकाकर्ता आवेदन करने पर, याचिकाकर्ता को एक अधिवक्ता से पुष्टिकरण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी, जिसमें वर्तमान स्वामित्व, दस्तावेजों पर भरोसा किया गया था और जिस श्रेणी के तहत भूमि आती है (समूह 1 या समूह 2) का विवरण आवेदन जमा करने से पहले और जब भी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा सलाह दी जाती है। याचिकाकर्ता द्वारा 24.12.2018 को आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

**19.** विवरणिका के खंड 4 (**v**) (के) में कहा गया है कि प्रत्येक आवेदक को आवेदन पत्र में उस श्रेणी की घोषणा करनी होगी जिसके तहत प्रस्तावित भूमि आती है। आवेदन की तारीख के अनुसार परिशिष्ट **III** बी में एक अधिवक्ता से पुष्टिकरण पत्र भी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा सलाह दिए जाने पर प्रस्तुत किया जाना है। समूह, जिसके तहत आवेदक की भूमि आती है, का निर्धारण आवेदन में दी गई घोषणा और उसी के संबंध में एक अधिवक्ता के पुष्टिकरण पत्र के आधार पर किया जाएगा।

**20.** आवेदन पत्र के खंड 13 और विवरणिका के खंड 4 (**v**) (के) को बारीकी से पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि समूह 1 श्रेणी के तहत उम्मीदवारी का दावा करने के लिए एक उम्मीदवार को परिशिष्ट **III** बी में अधिवक्ता का पुष्टिकरण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिसमें आवेदन से पहले या आवेदन की तारीख से पहले की तारीख हो, जब भी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा मांग की जाए।

**21.** वर्तमान मामले में, समूह 1 श्रेणी के अंतर्गत आने वाले आवेदन पत्र में याचिकाकर्ता द्वारा की गई घोषणा के आधार पर, याचिकाकर्ता पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा उस श्रेणी के तहत विचार किया गया था और लॉट के ड्रॉ में उसे सफल घोषित किया गया था।

**22.** चयनित उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत सहायक दस्तावेजों का सत्यापन, पद चयन, विवरणिका के खंड 4 (**v**) (एम) के अनुसार कृत है, जिसमें कहा गया है कि चयनित उम्मीदवार के सहायक दस्तावेज, पद चयन, प्रमाण पत्रों की जांच/क्षेत्र सत्यापन के समय किया जाएगा। याचिकाकर्ता को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा लॉट के ड्रॉ में सफल होने के बारे में पत्र दिनांक 28.06.2019 के माध्यम से सूचित किया गया था, और क्षेत्र सत्यापन के उद्देश्य से, याचिकाकर्ता को परिशिष्ट **III A** और **III B** के साथ सहायक दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया गया था ।

**23.** विवरणिका के खंड 15 में कहा गया है कि चयनित उम्मीदवार के आवेदन पत्र में दिए गए विवरणों के संबंध में क्षेत्र सत्यापन किया जाएगा। उम्मीदवार को क्षेत्र सत्यापन के समय सभी मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिन्हें चयन के बाद क्षेत्र सत्यापन के संबंध में जमा किया जाना था। चयनित उम्मीदवार को क्षेत्र सत्यापन की सूचना दस दिन पहले दी गयी थी ।

**24.** क्षेत्र सत्यापन क्र दौरान याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता का 01.07.2019 दिनाकित पुष्टिकरण पत्र, प्रस्तुत किया है, जो आवेदन पत्र जमा करने की तारीख के बाद का है और चयन की शर्तों के अनुसार आवेदन पत्र जमा करने से पहले की तारीख नहीं है।

**25.** याचिकाकर्ता का यह तर्क कि उसने आवेदन पत्र जमा करते समय पुष्टिकरण पत्र प्रस्तुत किया था, अप्रमाणित है और याचिकाकर्ता इस न्यायालय के समक्ष परिशिष्ट **III** बी में कोई भी दस्तावेज/पुष्टिकरण पत्र पेश करने में विफल रहा है, जिसमें आवेदन पत्र जमा करने से पहले की तारीख और/या आवेदन पत्र जमा करने की तारीख है।

**26.** खंड पीठ, सुनीता यादव (उपरोक्त) के मामले में, परिशिष्ट **III** बी प्रस्तुत करने के समान बिंदु पर विचार किया है, अपीलार्थी के इस दावे को खारिज कर दिया

चुकी अपीलार्थी के पास आवेदन जमा करने से पहले या आवेदन की तारीख को सभी दस्तावेज नहीं थे।

**27**. उपरोक्त तथ्यों और कानून को ध्यान में रखते हुए, मेरी सुविचारित राय है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने समूह 1 श्रेणी के तहत डीलरशिप के अनुदान के लिए याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को सही ढंग से खारिज किया है।

**28**. इस रिट आवेदन को तदनुसार खारिज किया जाता है।

**29**. खर्चे के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

**(अनिल कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)**

प्रभाकर आनंद/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।